



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प0 12(11)वन/2021

जयपुर, दिनांक 04 JULY 2022


संशोधन आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल) से उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल) के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29.09.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंघानुसार राजस्थान वन सेवा के निम्नलिखित उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राजस्थान वन सेवा के उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं	नाम अधिकारी	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक
1	श्री नन्दलाल प्रजापत	2022-23	01.04.2022

उक्त आदेश एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17062/2013, 17188/2013, 19266/2013, 8189/2013, 12556/2013, 12362/2013, 12350/2013, 9410/2013, 11931/2013, 18026/2013, 17462/2012, डी.बी.अपील नं. 1046/2013, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1840/2014 ओमप्रकाश शर्मा व अन्य बनाम सरकार, 8662/2019 तरुण कुमार मेहरा बनाम सरकार व अन्य तथा 9044/2020 तरुण कुमार मेहरा व अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधधीन होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अंजू राजपाल) 04/10/22
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव